कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबन्धक, नागौर

दिनांक :- 22.09.17

क्रमांक :- भामाशाह/सांख्यिकी/2017/ 2165-76

उपखण्ड अधिकारी एवं
ब्लॉक भामाशाह नोडल अधिकारी
समस्त जिला नागौर।

विषय :- दिनांक 25.9.17 से 4.10.17 तक वित्तीय समावेशन की जानकारी अधिकाधिक लोगो को प्रदान करने बाबत।

सन्दर्भ :- प्रमुख शासन सचिव आयोजना के पत्रांक एफ.17 (1)/1/ भामाशाह/ डीईएस / 2014 दिनांक 16.9.17

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 21.8.17 को आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक के क्रम में राज्य में New Approach to communication के तहत सम्पूर्ण जिले में विभिन्न योजनाओं और सरकारी पहल के बारे में जानकारी अधिकाधिक लोगों को प्रदान की जानी है। इस क्रम में दिनांक दिनांक 25.9.17 से 4.10.17 तक वित्तीय समावेशन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने हेतु उपखण्डो में निम्नानुसार कार्यक्रम/ गतिविधियों का आयोजना किया जाना हैः-

1. कार्यक्रम/गतिविधियों में दी जाने वाली जानकारी :-

- जिले में वित्तीय समावेशन हेतु भामाशाह योजना के तहत आमजन के खुलवाये गये जन धन बैंक खाते से तथा इन खातो को खुलवाने से विशेष कर गरीबों/ वंचितो और कमजोर वर्गो की भलाई व उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासो से ये लोग कैसे लाभान्वित हो रहे है/ होगें। अवगत करवाया जावे।
- ऐसे परिवार जो अभी तक भामाशाह योजना के तहत वित्तीय समावेशन से नहीं जुडे हैं उन्हें इससे जुड़ने पर शीघ्र एवं पारदर्शी रूप से घर के नजदीक लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देकर योजना के जुड़ने हेतु प्रयास किये जावें।
- इस योजना से जुड़ने के पश्चात दिये गये लाभ के सम्बन्ध में Case Study की जानकारी दी जावें।
- बैंक बीसी/ ई-मित्र पे पोईन्टों के द्वारा घर के निकट बैकिंग सुविधा किस प्रकार से दी जा रही हैं, प्रक्रिया से अवगत करवाया जावे।
- क्षेत्रीय युवाओं को ई-मित्र पे पोईन्ट बनकर क्षेत्र में वित्तीय सुविधा प्रदान कर स्वरोजगार पा सकते है।
- भामाशाह नामांकन, नामांकन में संशोधन/ अद्यतन के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सम्बन्धित लाभो की जानकारी को भामाशाह नामांकन से जुड़वाने (सीडिंग की प्रक्रिया)।
- मुद्रा लोन स्कीम के तहत दिये जाने वाले ऋण को कौन प्राप्त कर सकता है व कैसे, इसकी प्रक्रिया बताते हुए इससे प्राप्त होने वाले लाभों को भी बताया जावें।
- भामाशाह प्लेट फार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने हेतु नगद व गैर नगद लाभ की 161 योजनाओं के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 6.2.2017 तथा विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.5.2017 की जानकारी दी जावें।

2- उक्त कार्यो के प्रचार प्रसार हेतु जिले/ ब्लॉक पर कार्यरत युवा विकास प्रेरक, संगणक, सूचना सहायक, इत्यादि को आवश्यक जानकारी प्रदान कर इनके लिए चिन्हित संस्था/स्थान यथा स्कूलो, कॉलेजो, 2 अक्टुबर से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं, वीडियो वॉल वाले स्थानों, बैंको, मेले

इत्यादि स्थानो पर कार्यक्रम हेतु दिनांक वार कार्य योजना बनाकर संबंधित को सूचति करें। कार्यक्रम में आमजन को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये कार्यो व इससे जुड़ने की आवश्यकता से अवगत करवाया जाए।

3- कार्यक्रम/ गतिविधियों को आयोजन करने के लिए जिलास्तर से संक्षिप्त कार्य योजना का प्रारुप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है, के अनुसार गतिविधियों के स्थान का नाम व गतिविधि करवाने वाले कार्मिक की नामजद ड्यूटी की विस्तृत कार्य योजना ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी व प्रोग्रामर के माध्यम से तैयार करवाकर 22.9.17 को सायं तक आवश्यक रूप से भिजवाई जावें। निबंध, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में विजेता को प्रोत्साहन स्वरूप संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रशस्ति पत्र को स्थानीय संस्थान प्रधान/ अधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रदान करवाया जावे।

4- उक्त गतिविधियों में जनप्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जावे तथा अधिकाधिक आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जावें।

5- कार्यक्रम आयोजन की फोटो के साथ गतिविधि का स्थान, उपस्थित प्रमुखजन, दिनांक इत्यादि का उल्लेख कर dlo.doitc@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – 1. कार्य योजना प्रारूप
2. प्रशस्ति प्रत्र प्रारूप

जिला कलक्टर एवं
जिला भामाशाह प्रबंधक
नागौर

दिनांक :- 22.09.17

क्रमांक :- सांख्यिकी/भामाशाह/2017/ 2177-2248

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- श्रीमान प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग, जयपुर।
2- संयुक्त निदेशक (भामाशाह) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राज. जयपुर।
3- उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, नागौर।
4- सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी नागौर।
5- प्राचार्य कॉलेज / प्रधानाचार्य सम्बन्धित ....।
6- तहसीलदार समस्त जिला नागौर।
7- विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला नागौर।
8- नगर निकाय/पालिका समस्त जिला नागौर
9- ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर पंचायत समिति समस्त जिला नागौर।

जिला कलक्टर एवं
जिला भामाशाह प्रबंधक
नागौर

राजस्थान सरकार

जिला प्रशासन, जिला..................

प्रशस्ति पत्र

श्री/सुश्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री श्री............................ द्वारा आज दिनांक .... को ....(स्थान) पर राजस्थान में भामाशाह योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुए कार्यो के सम्बन्ध में आयोजित वाद-विवाद/निबंध/प्रश्नोत्तरी/अन्य प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक ....

भामाशाह योजनान्तर्गत वित्तीय समावेशन कार्य योजना दिनांक 25.9.17 से 4.10.17 –जिला नागौर

क्र.सं.	दिनांक	गतिविधि	सहभागी	क्षेत्र	गतिविधि करवाने वाले कार्मिक	उत्तरदायी अधिकारी
1	25.09.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी	कॉलेज विद्यार्थी	कॉलेज / सी. सैकेन्ड्री स्कूल	युवा विकास प्रेरक/ संगणक/सूचना सहायक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर
2	26.09.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी व प्रश्नोत्तरी/वाद विवाद/ निबंध प्रतियोगिता	कालेज विद्यार्थी	कॉलेज / सी. सैकेन्ड्री स्कूल	युवा विकास प्रेरक/ संगणक/सूचना सहायक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर
3	27.09.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी	दर्शनार्थी	माताजी मंदिर/अन्य मंदिर	युवा विकास प्रेरक/ संगणक/सूचना सहायक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर
4	29.09.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी	यात्री	बस स्टेण्ड/ रेल्वे स्टेशन / सार्वजनिक स्थान	युवा विकास प्रेरक/ संगणक/सूचना सहायक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर
5	02.10.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी	ग्राम सभा के सदस्य	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर	अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत का ई–मित्र धारक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर
6	03.10.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी	स्कूल विद्यार्थी	सी. सैकेन्ड्री स्कूल (ग्रामीण)	युवा विकास प्रेरक/ संगणक/सूचना सहायक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर
7	04.10.17	वित्तीय समावेशन की जानकारी व प्रश्नोत्तरी/वाद विवाद/ निबंध प्रतियोगिता	स्कूल विद्यार्थी	सी. सैकेन्ड्री स्कूल (ग्रामीण)	युवा विकास प्रेरक/ संगणक/सूचना सहायक	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/ प्रोग्रामर

नोट :– ब्लॉक साख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर संयुक्त रूप से तीन तीन कार्मिको की टीम बनाकर उपरोक्त कार्य के लिए ड्युटी लगायेगें।